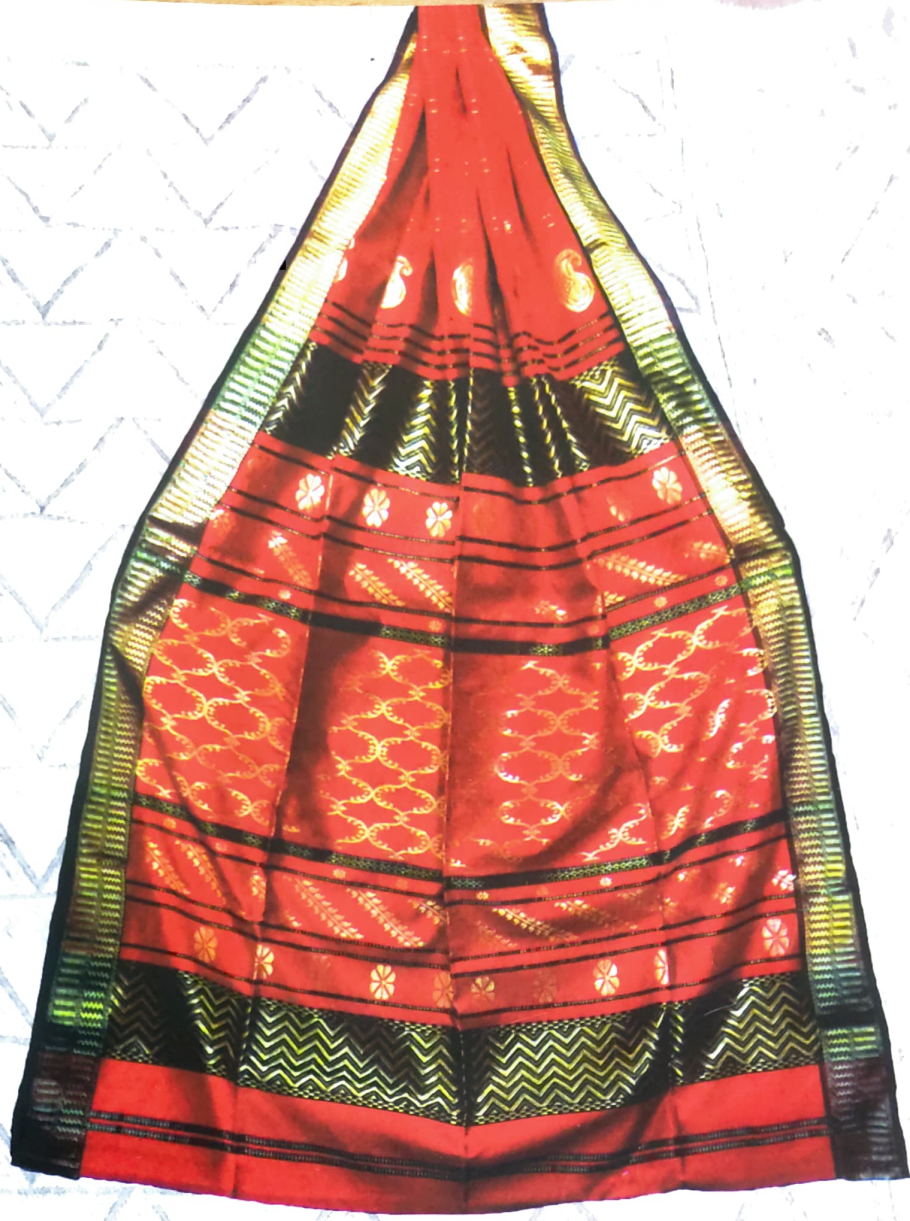




मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019-2020



कुटीर एवं
ग्रामोद्योग विभाग





मध्यप्रदेश शासन

**प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2019—2020**

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2018—19

विभाग का नाम

—

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

मंत्री

—

श्री गोपाल भार्गव

राज्य मंत्रालय

प्रमुख सचिव

—

श्री अनिरुद्ध मुकर्जी

उप सचिव

—

श्री पुरुषोत्तम शर्मा

अवर सचिव

—

श्री चन्द्रकान्त कश्यप

विभागाध्यक्ष

आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प

—

श्री राजीव शर्मा

आयुक्त, रेशम संचालनालय

—

—

प्रबंध संचालक

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

—

श्री मोहनलाल मीना

संत रविदास म0प्र0 हस्तशिल्प एवं

—

श्री राजीव शर्मा

हाथकरघा विकास निगम

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म0प्र0 माटीकला बोर्ड

—

श्री मोहनलाल मीना

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ
भाग-1	विभागीय संरचना	1 से 9
भाग-2	बजट विहंगावलोकन	10 से 17
भाग-3	विभागीय योजनाएं, भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ	18 से 41
भाग-4	अभिनव योजना	42
भाग-5	महिला नीति	43
भाग-6	सारांश	44

भाग — एक

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की संरचना

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज में गांव के कुटीर, लघु और कृषि उद्योग को शिक्षा के साथ जोड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने स्थानीय संगठनों को योग्य एवं कुशल बनाने और पारम्परिक संसाधनों के अधिकाधिक विवेकपूर्ण उपयोग की भी बात कही थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन ने मई 1990 में ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना की है। तब से विभाग निरंतर ग्रामोद्योगों के सुदृढीकरण की दिशा में अग्रसर है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का नेतृत्व कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री द्वारा किया जाता है।

प्रशासनिक स्तर पर प्रमुख सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी की सेवाएँ कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को उपलब्ध हैं।

विभागाध्यक्ष

1. आयुक्त हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, मध्यप्रदेश, भोपाल
 2. आयुक्त, रेशम संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
- विकास कार्यों की समुचित व्यवस्था के लिये विभाग के अंतर्गत तीन सार्वजनिक उपक्रम और दो राज्य स्तरीय सहकारी संघ कार्यरत हैं।

सार्वजनिक उपक्रम

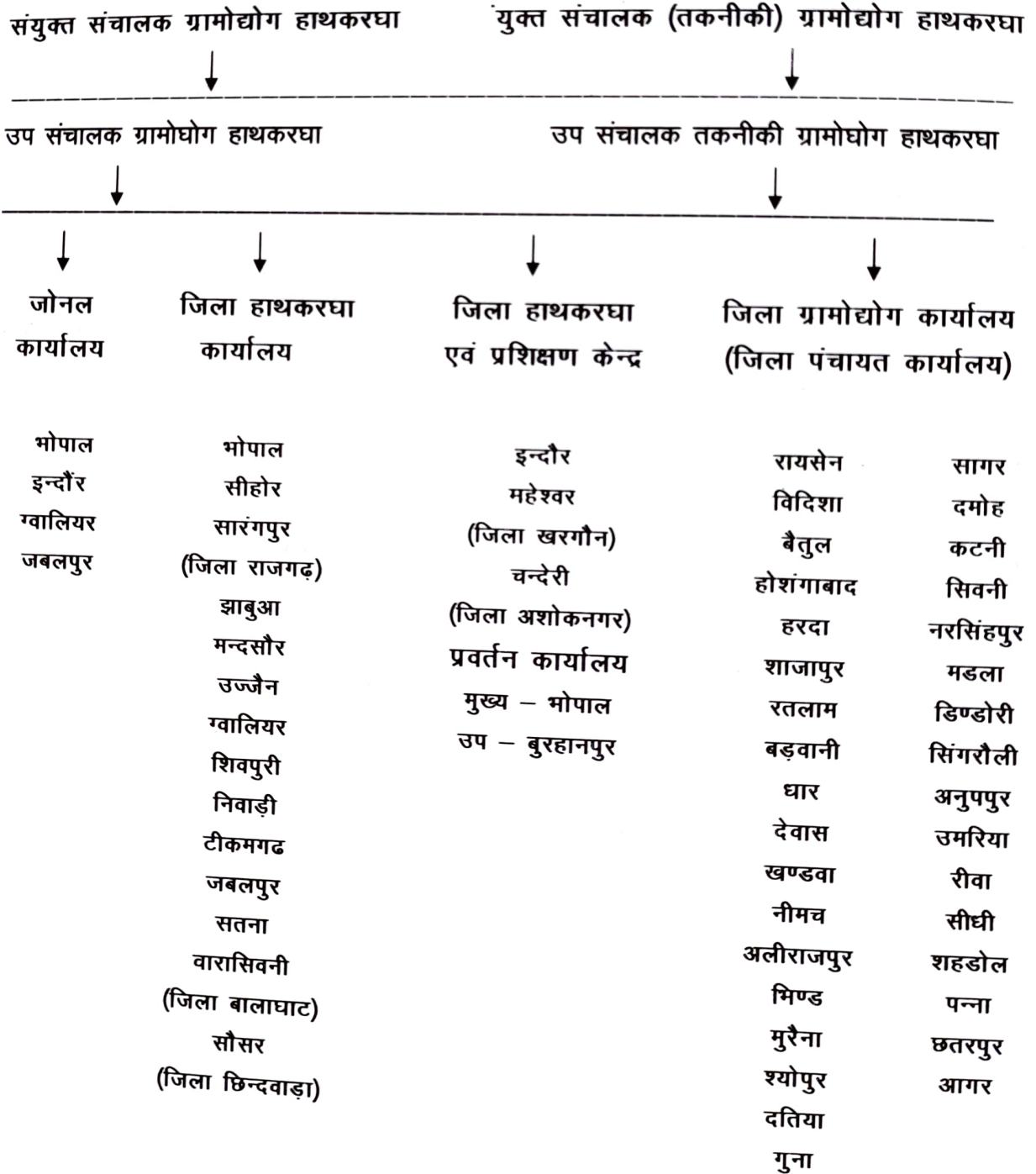
1. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल
2. संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल
3. मध्यप्रदेश माटी कला बोर्ड, भोपाल

राज्य स्तरीय सहकारी संघ

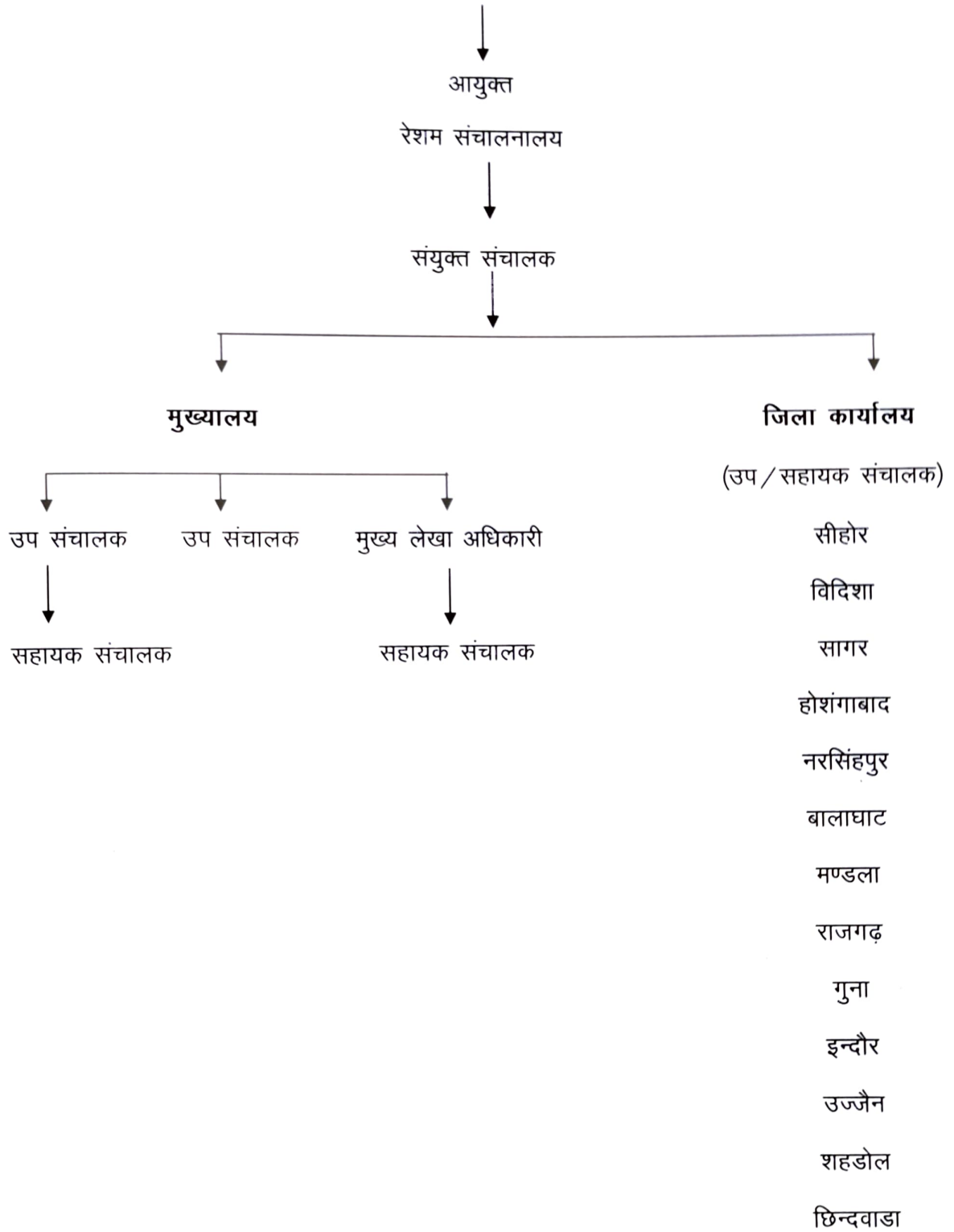
1. मध्यप्रदेश राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित जबलपुर (परिसमापन अन्तर्गत)
2. मध्यप्रदेश स्टेट सेरीकल्चर डेव्हलपमेंट एण्ड ट्रेडिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल।
3. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल।

हाथकरघा संचालनालय की विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय
आयुक्त हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मध्यप्रदेश

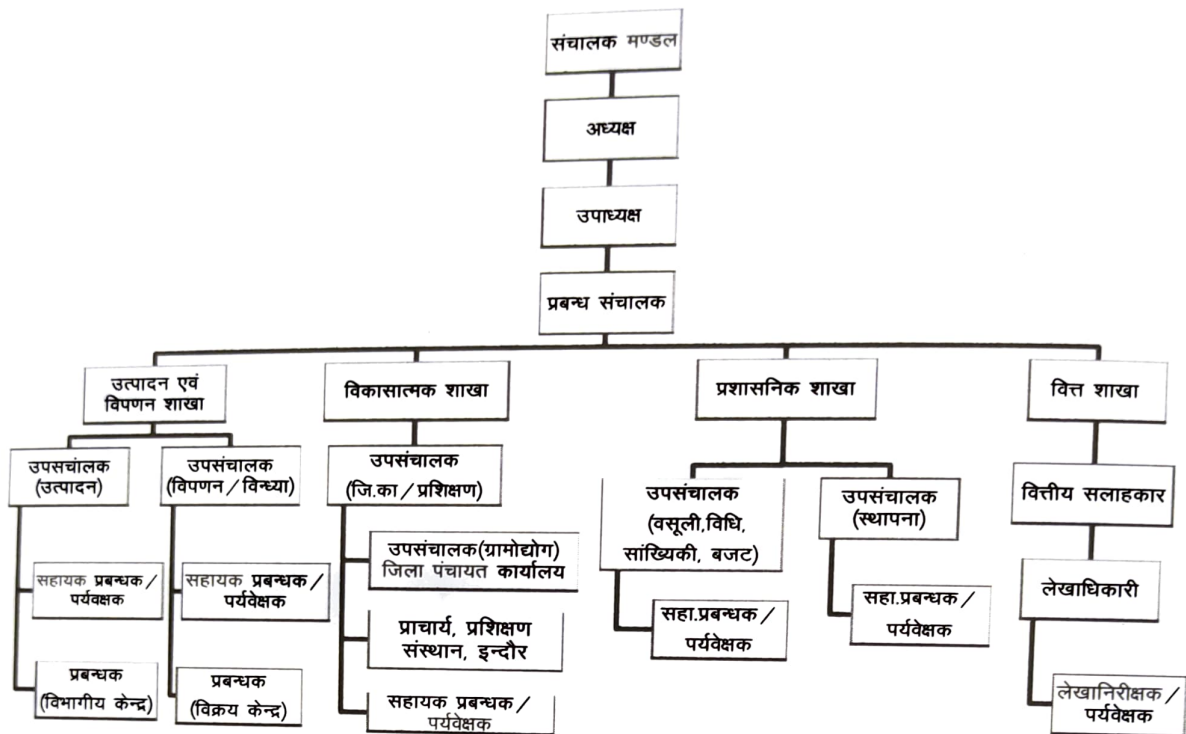
अतिरिक्त संचालक ग्रामोद्योग



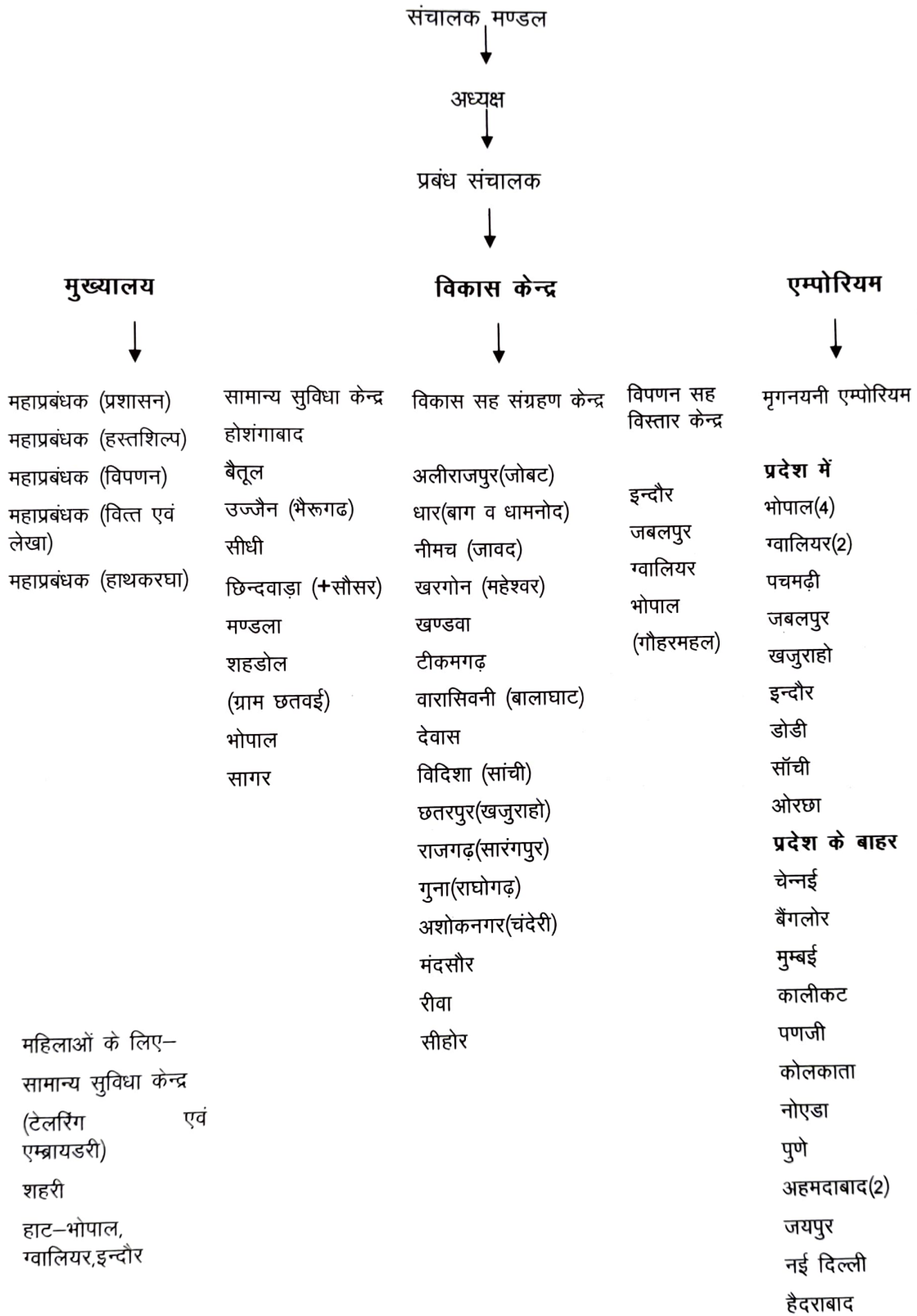
रेशम संचालनालय की संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय



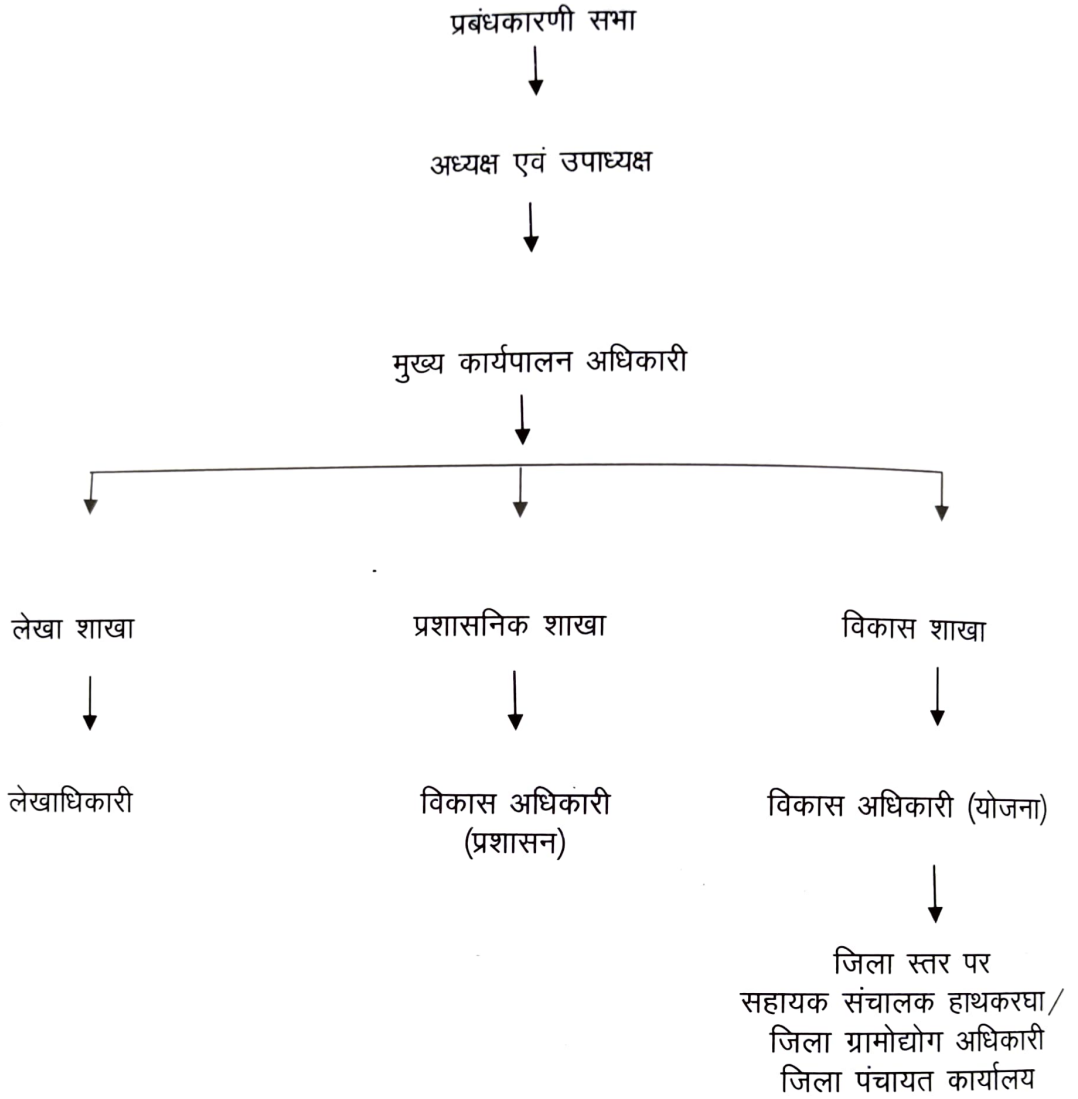
मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप



**संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम की संरचना
एवं अधीनस्थ कार्यालय**



मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप



कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के दायित्व

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की भूमिका मध्य प्रदेश के परंपरागत ग्रामोद्योगों के संवर्धन, समग्र विकास, रोजगार बढ़ाने, ग्रामोत्पादों की गुणवत्ता का विकास, कौशल उन्नयन, ग्रामोत्पादों को बाजारोन्मुखी बनाना एवं उनके विपणन को प्रोत्साहित करने से है। विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैं :—

- ग्रामोद्योगों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामोद्योग विकास में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए बुनियादी एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, उन्नत प्रौद्योगिकी, उच्चगुणवत्ता आदि के विकास के लिए सहयोग देना।
- क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए ग्रामोद्योग के विकास में निजी क्षेत्र, स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- कृषि उपज आधारित ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामोद्योग के उत्पादों के बारे में प्रदेश के भीतर एवं बाहर की मांग का आकलन कर, विपणन तंत्र को चिन्हित कर विकसित करना, गुणवत्ता के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन हेतु बेकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराना तथा उत्पादन के विपणन को प्रोत्साहित करना।

हाथकरघा संचालनालय के दायित्व

- प्राचीनतम एवं उत्कृष्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्ध परम्परा को समृद्ध बनाना।
- हाथकरघा उद्योग में आधुनिक औद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाना।
- हाथकरघा बुनकरों को सतत रोजगार उपलब्ध कराना तथा नये लोगों को इस उद्योग से संबद्ध कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- बुनकरों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के प्रयास करना।
- प्रदेश में बुनाई व अन्य कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना।

रेशम संचालनालय के दायित्व

- रेशम उद्योग के जनोन्मुखी एवं व्यावसायिक रूप से संचालन को प्रोत्साहित करना।
- बाजारोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ककून तथा रेशम धागे में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार लाना व कौशल उन्नयन एवं तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना।
- रेशम उद्योग के प्रबंधन में हितग्राहियों एवं स्टेकहोल्डर्स की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

- मूल्य अभिवृद्धि की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर विपणन को बढ़ावा देना।
- प्रदेश के वनों का सर्वहनीय उपयोग कर टसर उत्पादन का विकास करना।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के दायित्व

- खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना, विकास एवं संवर्धन में सहयोग एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु उद्यमी भावना को प्रोत्साहित करना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण तथा विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग के लिये सयंत्र, मशीनें और उपकरणों का प्रदाय एवं कच्चे माल की आपूर्ति करना।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के दायित्व

- प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प एवं हाथकरघा संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन कर रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- विकासात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों के संचालन व अधोसंरचना विकास द्वारा ऐसा वातावरण बनाना जिसमें परम्परागत शिल्पी बुनकर परिवारों के युवा पैतृक व्यवसाय में ही बने रहे।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदलती मांग के अनुरूप हस्तशिल्प हाथकरघा सेक्टर के उत्पादों की गुणवत्ता व डिजाइन्स में सुधार लाकर बाजार की प्रतिस्पर्धा में बिक्री योग्य बनाना।
- तकनीकी उन्नयन द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता बढ़ाकर शिल्पियों व बुनकरों की आमदनी में वृद्धि करना।
- हाथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए सहायता व मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराना।

शिल्पियों और बुनकरों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा परम्परागत शिल्प पॉकेट्स और हाथकरघा सघन क्षेत्रों में 29 विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। शिल्पियों/बुनकरों द्वारा उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था के लिए 25 एम्पोरियम संचालित किए जा रहे हैं जिसमें से 12 प्रदेश के बाहर देश के प्रमुख नगरों में हैं।

भोपाल, ग्वालियर, एवं इन्दौर में स्थायी हाट की स्थापना की गई है।

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड के दायित्व

- माटीकला उद्योगों से संबंधित अधोसंरचना जैसे बिजली, पानी पहुँच मार्ग की व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण एवं सुझाव देना।

- तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के संबंध में प्रभावी योजना बनाना एवं धनराशि की व्यवस्था करना।
- केन्द्र सरकार राज्य शासन एवं सार्वजनिक क्षेत्र से माटी का कार्य करने वालों को सुविधाएं एवं सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय की व्यवस्था करना।
- माटी का कार्य करने वाले कारीगरों एवं उद्योगों की समस्याओं का निराकरण करने का सुझाव देना।

भाग – दो
बजट विहंगावलोकन
(केन्द्र शासन की योजनाओं को सम्मिलित कर)
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
बजट वर्ष 2019-20

(राशि रुपये लाख में)

क्र०	विभागाध्यक्ष/निगम/बोर्ड	बजट प्रावधान	बजट आवंटन	व्यय
1.	हाथकरघा संचालनालय	3742.01	3739.54	3165.44
2.	रेशम संचालनालय	8131.20	7418.74	4712.38
3.	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	4480.61	4103.90	3317.84
4.	हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	2745.25	2439.66	1649.29
5.	माटीकला बोर्ड	394.76	344.35	318.84
	योग	19493.83	18046.19	13163.79

- टीप:- 1. मांग संख्या 53 अंतर्गत प्रावधान रुपये 993.88 लाख बजट में शामिल है।
2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त राशि रुपये 1491.81 लाख बजट में शामिल है।

हाथकरघा संचालनालय

(केन्द्र शासन की योजनाओं को सम्मिलित कर)

(राशि रुपये लाख में)

क 0	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2019-20	बजट आबंटन वर्ष 2019-20	व्यय वर्ष 2019-20
राज्य स्तरीय योजनाएं				
मांग संख्या-56 - 0101 (सामान्य)				
1.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	96.46	77.17	77.17
2.	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	0.80	0.64	--
3.	उद्यमी/स्व-सहायता समूह /अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	24.66	19.73	--
4.	अनुसंधान एवं विकास	2.20	1.76	--
5.	कबीर बुनकर पुरस्कार योजना	2.73	2.18	2.18
6.	मुख्य मंत्री स्व-रोजगार योजना	740.81	602.25	595.38
7.	मुख्य मंत्री आर्थिक कल्याण योजना	48.00	38.40	26.85
8.	युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण	10.00	8.00	6.78
	योग	925.66	750.13	708.36
मांग संख्या-56-0102 (अ.ज.जा.)				
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	10.00	8.00	8.00
2	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	114.24	91.39	74.81
3	आर्थिक कल्याण योजना	5.88	4.70	3.28
	योग	130.12	104.09	86.09
मांग संख्या-56-0103 (अ.जा.)				
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	20.00	16.00	11.20
2	मुख्य मंत्री स्व-रोजगार योजना	138.28	110.62	110.62
3	आर्थिक कल्याण योजना	6.12	4.90	4.08
	योग	164.40	131.52	125.90

मांग संख्या-35-(MSME से प्राप्त)			
1	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना-0101 (सामा.)	206.12	206.12
2	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना-0102 (अजजा)	50.00	50.00
3	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना-0103 (अजा)	155.00	155.00
4	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना-0101 (सामा.)	10.00	10.00
	योग	421.12	421.12
	महायोग	1641.30	1406.86
			1339.47
मांग संख्या-53-0101 (सामान्य)			
1	हाथकरघा विकास योजना	161.28	129.50
	योग	161.28	129.50
			95.87
मांग संख्या 53-0102 (अ.ज.जा.)			
1	हाथकरघा विकास योजना	65.99	52.79
	योग	65.99	52.79
			48.11
मांग संख्या-53-0103 (अ.जा.)			
1	हाथकरघा विकास योजना	34.24	27.39
	योग	34.24	27.39
			16.83
	जिला योजना बजट का योग	261.51	209.68
	राज्य योजना बजट का योग	1641.30	1406.86
	स्थापना संबंधी योजनाओं का बजट	1839.20	1823.00
	महायोग	3742.01	3739.54
			3165.44

रेशम संचालनालय

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2019-20	बजट आवंटन वर्ष 2019-20	व्यय वर्ष 2019-20
मांग संख्या 56-0101 (सामान्य)				
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	221.89	189.50	129.49
2	रेशम उद्योग का विकास कार्य	1154.31	996.27	587.12
3	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	182.84	148.19	94.81
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	618.34	474.66	103.80
5	उद्यमियों/स्वसहा.समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग	136.40	109.12	8.40
6	इरी रेशम विकास एवं विस्तार	0.91	0.73	--
7	रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएँ व अन्य निर्माण कार्य	140.00	140.00	46.99
	योग	2454.69	2058.47	970.61
मांग संख्या -56-0102 (अजजा)				
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	68.34	57.39	25.24
2	रेशम उद्योग का विकास कार्य	227.77	187.99	99.57
3	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	518.28	464.80	187.63
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	245.52	196.41	23.61
5	उद्यमियों/स्वसहा.समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग	00.01	00.00	--
	योग	1059.92	906.59	336.05
मांग संख्या - 53 - 0102 (अजजा)				
1	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	00.01	00.00	00.00
मांग संख्या - 56 - 0103 (अजा)				
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	20.04	20.02	10.93
2	रेशम उद्योग का विकास कार्य	105.17	84.94	59.51
3	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	0.04	0.02	--
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	227.34	181.86	8.05
5	रेशम उद्योग का विकास कार्य (पूँजी परिव्यय)	61.60	61.60	--
	योग	414.19	348.44	78.49
	विकास योजनाओं का योग	3928.80	3313.50	1385.15
	स्थापना संबंधी योजनाएँ	4202.40	4105.24	3327.23
	महायोग	8131.20	7418.74	4712.38

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(राशि रुपये लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2019-20	बजट आवंटन वर्ष 2019-20	व्यय वर्ष 2019-20
मांग संख्या-56-0101 (सामान्य)				
1	स्थापना अनुदान आयोजना (प्लान)	1405.56	1405.56	1008.99
2	अमला प्रशिक्षण	3.60	2.88	0.06
3	खादी उत्पादन कृत्तिन अनुदान	60.01	48.00	48.00
4	विपणन सहायता एवं प्रचार-प्रसार	122.76	98.21	62.16
5	कच्चा माल क्रय सहायता	90.93	72.74	72.74
6	अनुसंधान एवं विकास	20.00	16.00	16.00
7	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	873.05	698.44	646.57
8	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	92.67	74.14	68.58
9	कौशल विकास कार्यक्रम	190.96	190.96	32.77
10	ग्रामोद्योग गतिविधियों का संचालन एवं संवर्धन	136.40	109.12	91.50
योग		2995.94	2716.04	2047.38
मांग संख्या-56-01012 (अजजा)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	148.40	118.72	97.83
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	28.52	22.82	21.11
3	कौशल उन्नयन	33.19	26.55	8.15
योग		210.11	168.09	127.09
मांग संख्या-56-0103 (अजा)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	198.00	158.40	158.40

2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	21.39	17.11	15.83
3	कौशल उन्नयन	54.56	43.65	10.25
योग		273.95	219.16	184.48
मांग संख्या-35 (एम.एस.एम.ई. से प्राप्त)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0101	202.00	202.00	202.00
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0102	160.00	160.00	160.00
3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0103	435.20	435.20	393.48
4	आर्थिक कल्याण योजना	203.41	203.41	203.41
योग		1000.61	1000.61	958.89
महायोग		4480.61	4103.90	3317.84

केन्द्र शासन (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा वित्तपोषित				(राशि लाख रु.में)
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	4606.81	-	1905.17

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

(राशि रुपये लाख में)

कं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2019-20	बजट आवंटन वर्ष 2019-20	व्यय वर्ष 2019-20
	मांग संख्या-56 (0101, 0102, 0103)			
1	विकास सह संग्रहण केन्द्रों का संचालन	235.60	235.60	235.60
2	प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसार	135.31	108.25	108.25
3	शिल्पी/बुनकर कल्याण योजना	0.01	0.01	---
4	अनुसंधान एवं विकास	15.00	12.00	12.00
5	उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	12.00	9.60	8.16
6	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	257.48	205.97	205.98
7	निगम मुख्यालय को मॉनिटरिंग हेतु अनुदान	959.95	959.95	955.04
8	निगम भवनों का संधारण	14.40	11.52	11.52
9	स्पेशल प्रोजेक्ट	0.01	0.01	---
10	प्रमोशन अभिलेखीकरण एवं ब्राण्ड बिल्डिंग	980.00	784.00	--
11	अधोसंरचना विकास	0.01	0.01	---
13	कालीन पार्क	90.93	72.74	72.74
14	कौशल विकास	21.82	21.82	21.82
15	राज्य स्तरीय पुरस्कार	2.73	2.18	2.18
16	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	20.00	16.00	16.00
	योग	2745.25	2439.66	1649.29

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

क0	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2019-20	बजट आवंटन वर्ष 2019-20	व्यय वर्ष 2019-20
मांग संख्या-56-0101 (सामान्य)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	180.76	157.62	157.62
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	20.88	16.70	11.69
2	उद्यमियों को प्रशिक्षण	19.10	15.28	10.70
3	प्रचार-प्रसार योजना	9.60	7.68	5.38
4	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	5.46	5.46	1.92
5	प्रशासनिक व्यय हेतु सहायता	81.84	65.47	55.65
मांग संख्या-56-0102 (अजजा)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार	0.38	0.30	0.22
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	0.06	0.05	0.03
मांग संख्या-64 -0103 (अजजा)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	5.94	5.18	5.18
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	0.66	0.53	0.37
	योग	324.68	274.27	248.76
मांग संख्या-35 - (MSME से प्राप्त)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0101 (सामान्य)	17.08	17.08	17.08
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0102 (अजजा)	10.00	10.00	10.00
3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0103 (अजा)	10.00	10.00	10.00
4	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना-0101 (सामान्य)	33.00	33.00	33.00
	योग	70.08	70.08	70.08
	महायोग (मांग संख्या 41,56,64, 35)	394.76	344.35	318.84

भाग तीन

विभागीय योजनाएं

राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तीन वर्ष की तुलनात्मक वित्तीय, भौतिक उपलब्धियाँ

हाथकरघा संचालनालय

अ- राज्य स्तरीय योजनाएं

(राशि रुपये लाखों में)

क्र०	योजना का नाम	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		आबंटन	आबंटन	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय वर्ष 2019- 20
मांग संख्या-56-0101 (सामान्य)							
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	100.00	99.44	92.70	91.77	77.17	77.17
2	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	2.00	0.99	1.80	1.80	0.64	
3	उद्यमी / स्व-सहायता समूह / अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	26.00	23.35	23.40	17.55	19.73	
4	अनुसंधान एवं विकास	5.00	4.50	4.95	4.95	1.76	
5	कबीर बुनकर पुरस्कार योजना	3.00	2.70	2.70	2.70	2.18	2.18
6	मुख्य मंत्री स्व-रोजगार योजना	2611.00	2611.00	2638.00	2586.00	602.25	595.38
7	आर्थिक कल्याण योजना	0	0	108.00	108.00	38.40	26.85
8	युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण	10.00	9.00	9.90	7.42	8.00	6.78
9	अतिरिक्त अमला	99.26	89.10	111.97	106.59	--	--
	योग	2856.26	2840.04	2993.42	2926.78	750.13	708.36
मांग संख्या-56-0102 (अ.ज.जा.)							

12	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	10.00	9.00	9.90	7.43	8.00	8.00
13	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	283.00	282.95	296.60	296.52	91.39	74.81
14	आर्थिक कल्याण योजना	0	0	13.23	13.18	4.70	3.28
	योग	293.00	291.95	319.73	317.13	104.09	86.09
मांग संख्या-56-0103 (अ. जा.)							
14	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	20.00	17.96	19.80	14.85	16.00	11.20
15	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	351.00	351.00	370.70	370.25	110.62	110.62
16	आर्थिक कल्याण योजना	0	0	13.77	13.62	4.90	4.08
	योग	371	368.96	404.27	398.72	131.52	125.90
	मांग संख्या-35-(MSME से प्राप्त)						
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0101	--	--	--	--	206.12	206.12
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0102	--	--	--	--	50.00	50.00
3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0103					155.00	155.00
4	आर्थिक कल्याण योजना-0101	--	--	--	--	10.00	8.00
	योग	--	--	--	--	421.12	419.12
	महायोग	3520.27	3500.95	3717.42	3642.63	1406.86	1339.47

क्र०	योजना का नाम	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		आबंटन	आबंटन	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय वर्ष 2019- 20
	जिला स्तरीय योजना						
मांग संख्या-53-0101 (सामान्य)							
16	हाथकरघा विकास योजना	123.45	121.10	123.45	85.14	129.50	95.87
	योग	123.45	121.10	123.45	85.14	129.50	95.87
मांग संख्या-53-0102 (अ.ज.जा.)							
17	हाथकरघा विकास योजना	43.38	35.88	45.38	27.22	52.79	48.11
	योग	43.38	35.88	45.38	27.22	52.79	48.11
मांग संख्या-53-0103 (अ.जा.)							
18	हाथकरघा विकास योजना	23.54	18.81	23.53	12.47	27.39	16.83
	योग	23.54	18.81	23.53	12.47	27.39	16.83
	जिला बजट का योग	190.37	175.79	192.36	124.83	209.68	160.81
	राज्य बजट का योग	3520.27	3500.99	3717.42	3642.63	1406.86	1339.47
	महायोग	3710.64	3676.78	3909.78	3767.46	1616.54	1500.25

**राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तीन वर्ष की तुलनात्मक भौतिक
उपलब्धियां**

राज्य स्तरीय योजनाएं

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि वर्ष 2019-20
मांग संख्या-56-0101 (सामान्य)							
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	100 हितग्राही	400 हितग्राही	102 हितग्राही	145 हितग्राही	100 हितग्राही	40 हितग्राही
2	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	25 हितग्राही	फिल्म निर्माण	25 हितग्राही	25 हितग्राही	---	---
3	उद्यमी / स्व-सहासमूह / अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	100 हितग्राही	295 हितग्राही	100 हितग्राही	90 हितग्राही	---	---
4	अनुसंधान एवं विकास	03 प्रशिक्षण केन्द्र	02 प्रशिक्षण केन्द्र	03 प्रशिक्षण केन्द्र	2 प्रशिक्षण केन्द्र	---	---
5	कबीर बुनकर पुरस्कार योजना	03 बुनकर	03 बुनकर	03 बुनकर	03 बुनकर	03 बुनकर	03 बुनकर
6	युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण	70 हितग्राही	39 हितग्राही	70 हितग्राही	63 हितग्राही	10 हितग्राही	10 हितग्राही
7	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	2149 हितग्राही	2019 हितग्राही	3139 हितग्राही	2880 हितग्राही	601 हितग्राही	561 हितग्राही
8	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	—	1000 हितग्राही	880 हितग्राही	668 हितग्राही	110 हितग्राही	233 हितग्राही
मांग संख्या 56-0102 (अ.ज.जा.)							
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	50 हितग्राही	22 हितग्राही	22 हितग्राही	30 हितग्राही	40 हितग्राही	66 हितग्राही
	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	236 हितग्राही	370 हितग्राही	383 हितग्राही	283 हितग्राही	99 हितग्राही	92 हितग्राही
2	आर्थिक कल्याण योजना	—	130 हितग्राही	108 हितग्राही	113 हितग्राही	52 हितग्राही	22 हितग्राही

मांग संख्या 56- 0103 (अ.जा.)							
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	50 हितग्राही	50 हितग्राही	50 हितग्राही	60 हितग्राही	40 हितग्राही	25 हितग्राही
2	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	275 हितग्राही	260 हितग्राही	478 हितग्राही	450 हितग्राही	120 हितग्राही	197 हितग्राही
3	आर्थिक कल्याण योजना	—	130 हितग्राही	112 हितग्राही	184 हितग्राही	54 हितग्राही	27 हितग्राही
जिला स्तरीय योजनाएं							
1	हाथकरघा विकास योजना	1800 उद्यमी	1758 उद्यमी	1923 उद्यमी	1248 उद्यमी	2000 उद्यमी	1608 उद्यमी

संचालित योजनाएं

(अ) जिला स्तरीय योजनाएं

1- हाथकरघा उद्योग विकास योजना

हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाओं के बुनकरों/शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामोद्योग उत्पादों को बाजार योग्य बनाने हेतु तकनीकी, विपणन एवं कार्यशील पूँजी हेतु सहायता प्रदान करना। बुनकर सहकारी समितियों, स्वसहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाएं जो कार्यशील होकर अपने सदस्यों को रोजगार प्रदान कर रही हैं, योजना अंतर्गत सहायता के लिये पात्र होंगी।

(ब) राज्य स्तरीय योजनाएँ

1- एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाने, वर्तमान क्लस्टर को सुदृढ़ करने, क्लस्टरों को वित्तीय समर्थन बढ़ाने, डायग्नोस्टिक स्टडी, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट डिजाइन, बाजार लिंगेजेस, सलाहकारों की सेवाएं लेने एवं कमियां को चिन्हित करने हेतु अध्ययन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु लघु एवं मध्यम उद्यमियों/अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु वर्कशाप अध्ययन भ्रमण के आयोजन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क नाली पेयजल विद्युत प्रदाय शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

2- उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्वसहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाइन विकास,

उत्पाद परिवर्तन/परिवर्धन, विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों तथा उद्योग के उत्थान के लिये यह योजना लागू की गई है ।

3— कबीर बुनकर पुरस्कार योजना

उत्कृष्ट हाथकरघा वस्त्र उत्पादन करने वाले दो बुनकरों को समिति की अनुशंसा निर्णय अनुरूप प्रथम रूपये 1,00,000/— द्वितीय रूपये 50,000/— पुरस्कार, एवं तृतीय पुरस्कार राशि रु. 25,000/— तथा प्रतीक चिन्ह प्रदान करने का प्रावधान है।

4.— अनुसंधान एवं विकास योजना

हाथकरघा क्षेत्र में नवीन अनुसंधान/विकास कार्य नमूनों का निर्माण इत्यादि कार्यों के लिए राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी के अनुमोदन अनुसार सहायता निगम, संघ एवं समितियों को स्वीकृत की जाती है । यह योजना भी संचालनालय स्तर से संचालित की जाती है ।

5— प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

प्रदेश के ग्रामोद्योग उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यों के (हाथकरघा, हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग की परम्पराओं के) अभिलेखीकरण डिजाइन डिक्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जाती है। यह सहायता प्रोजेक्ट आधारित होती है। सहायता के अधिकतम सीमा तक राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट कमेटी के विवेकाधीन होती है।

6.— युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण

भारत सरकार द्वारा संचालित टेक्सटाईल/हाथकरघा/हस्तशिल्प/ग्राम एवं कुटीर इत्यादि प्रशिक्षण केन्द्रों/शिक्षण संस्थानों में प्रदेश के बुनकरों/शिल्पियों के युवाओं को प्रशिक्षण छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रासंगिक व्ययों की पूर्ति हेतु सहायता दी जाती है। भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान जोधपुर के लिए प्रदेश हेतु 10 सीटों का आरक्षण किया गया है, जिसमें प्रदेश के हाथकरघा उद्योग को उचित तकनीकी अमला उपलब्ध कराने की दृष्टि से 3 वर्षीय डिप्लोमा, हाथकरघा/हस्तशिल्प/ग्राम एवं कुटीर उद्योग से जुड़े युवा बुनकरों/शिल्पियों/उद्यमियों को विभिन्न रोजगार मूलक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने हेतु शिल्पी परिवार के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवक व युवतियों को प्रशिक्षित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

7 – राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यक्रम

विकास आयुक्त हाथकरघा भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हाथकरघा विकास योजना को 12 वी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया है । इस योजना में प्रमुख रूप से निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया है:-

1. क्लस्टर विकास कार्यक्रम ।
2. हाथकरघा विपणन सहायता ।
3. हाथकरघा संस्थाओं का विकास और सुदृढीकरण ।

4. हाथकरघा संगणना ।
 5. नवोन्मेषी विचारों का कार्यान्वयन ।
 6. योजना का प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण और मूल्यांकन ।
- उपरोक्त घटकों में से क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू की जावेगी जो एकीकृत हाथकरघा विकास कार्यक्रम योजना के स्थान पर लागू होगी । इस घटक के अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्न घटकों को शामिल किया गया है :-

1. विपणन प्रोत्साहन सहायता ।
2. क्लस्टरों का सुदृढीकरण ।

8.- मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना

योजना के अंतर्गत हाथकरघा बुनकरों एवं शिल्पियों को रोजगार स्थापित किये जाने हेतु राशि रुपये 10.00 लाख तक के परियोजनाओं में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने पर सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राहियों को स्वीकृत ऋण पर 15 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 1.00 लाख) एवं बी.पी.एल./अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन के लिये बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 30 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 2.00 लाख) दिये जाने का प्रावधान है, साथ ही योजना में समस्त वर्गों के हितग्राहियों को स्वीकृत बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत एवं महिला हितग्राहियों को 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान (अधिकतम 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष) आगामी 7 वर्ष तक दिये जाने का प्रावधान है ।

9.- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत बुनकर/शिल्पियों को स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु राशि रुपये 50 हजार तक की सहायता बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है । आवेदक पी.डी.एस. कार्ड धारक होना अनिवार्य होगा । आवेदन दिनांक को हितग्राही की आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के मध्य हो । इस योजना में परियोजना लागत पर सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत तथा बी.पी.एल./अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन/विमुक्त घुम्मकड एवं अर्द्ध घुम्मकड जाति को 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 15,000 मार्जिन मनी सहायता दिए जाने का प्रावधान है ।

रेशम संचालनालय
तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियाँ

(अ) राज्य योजनाएं

(राशि रुपये लाख में)

क.	योजना	(राशि रुपये लाख में)					
		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
मांग संख्या 56-0101 (सामान्य)							
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	547.00	262.11	224.72	152.67	189.50	129.49
2	रेशम उद्योग का विकास कार्य	2112.68	959.62	1458.31	1367.30	996.27	587.12
3	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	202.25	62.97	200.06	102.40	148.19	94.81
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	1027.63	946.05	612.00	491.36	474.66	103.80
5	उद्यमियों/स्व. सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	334.00	299.83	135.00	129.33	109.12	8.40
6	इरी रेशम विकास एवं विस्तार	4.95	00.00	9.00	00.00	0.73	0.00
7.	रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं व अन्य निर्माण कार्य	47.40	11.26	47.40	37.90	140.00	46.99
8	सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	50.00	24.88	00.00	--	00.00	0.00
9	स्पेशल प्रोजेक्ट	0.01	00.00	00.01	00.00	00.00	00.00
10	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	50.00	39.82	00.00	00.00	00.00	00.00
11	रेशम मुख्यालय का रिनोवेशन	0.01	00.00	00.01	00.00	00.00	00.00
	योग	4375.93	2606.54	2686.51	2280.96	2058.47	970.61

मांग संख्या - 41/56 - 0102 (अजजा)

1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	210.00	85.58	93.77	59.10	57.39	25.24
2	रेशम उद्योग का विकास कार्य	1039.62	673.30	501.00	265.50	187.99	99.57

3	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	820.75	432.03	686.90	403.83	464.80	187.63
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	248.00	187.35	243.00	221.13	196.41	23.61
5	उद्यमियों/स्व. सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	15.00	10.05	00.01	00.00	00.00	00.00
	योग	2333.37	1388.31	1524.68	949.56	906.59	336.05
मांग संख्या-52/53 0102 (अजा)							
1	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	56.20	29.60	20.43	17.11	00.00	00.00

क्र.	योजना	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय 2019
मांग संख्या – 64 / 56 – 0103 (अजजा)							
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	70.50	21.16	20.04	10.38	20.02	10.93
2	रेशम उद्योग का विकास कार्य	408.20	160.28	150.28	52.14	84.94	59.51
3	टसर रेशम विकास एवं विस्तार	11.72	00.00	00.04	00.00	0.02	00.00
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	217.00	146.76	225.00	198.22	181.86	8.05
5	रेशम उद्योग का विकास कार्य (पूँजी परिव्यय)	00.50	0.12	294.00	134.93	61.60	00.00
	योग	707.92	328.32	689.36	395.67	348.44	78.49

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

मांग संख्या - 56-0101 (सामान्य)							
1	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	00.01	00.00	00.01	00.00	00.00	00.00
	योग	00.01	00.00	00.01	00.00	00.00	00.00
	महायोग	7473.43	4352.77	4920.99	3643.30	3313.50	1385.15

तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियाँ
अ. टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

क्रमांक	योजना	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
टसर कोया उत्पादन (लाख संख्या में)				
1	पालित	69.76	83.095	63.100
2	नैसर्गिक	126.50	108.440	00
	योग	196.26	191.535	63.100
लामान्वित हितग्राही (संख्या)				
1	अनुसूचित जाति	503	179	131
2	अनुसूचित जनजाति	2309	1901	974
3	अन्य	2277	572	395
	योग	5089	2652	1500
ब. मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम				
1.	रेशम केन्द्रों का भोगाधिकार वितरित क्षेत्र (एकड़ में)	1019	1009	1033
2.	मलबरी कोया उत्पादन (किलो में)	689323	693313	497200
स. लामान्वित हितग्राही (संख्या)				
(1)	अनुसूचित जाति	482	356	304
(2)	अनुसूचित जनजाति	3898	2311	2040
(3)	अन्य	1304	1662	1537
	योग :	5684	4329	3882

रेशम संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएं

1. प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

इस योजना का मुख्य उद्देश्य रेशम अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के तकनीकी एवं लेखा प्रशिक्षण देना व कृषकों/हितग्राहियों को रेशम गतिविधियों का प्रशिक्षण/एक्सपोजर भ्रमण कराना है। इस योजना के अंतर्गत मलबरी बीज कय, मलबरी बीज

केन्द्रों का संधारण कार्य, रेशम केन्द्रों पर उन्नत प्रजाति का शहतूती पौधरोपण, लघु निर्माण कार्य व उपकरण कय कार्य कराया जाता है ।

2. (1) रेशम उद्योग का विकास कार्य

प्रदेश के बुनकरों द्वारा रेशम के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उच्च गुणवत्तायुक्त बाजारोन्मुखी कोया/रेशम धागे के उत्पादन पर जोर दिया गया है। प्रदेश में उन्नत प्रजाति के स्वस्थ समूह के चाकी कृमिपालन, प्रशिक्षण, कलमों तथा ककून परिवहन, ककून प्रतिपूर्ति सहायता व विसंकमण व धागा उत्पादन प्रोत्साहन हेतु सामग्री के प्रदाय हेतु योजना में कार्य किया जाता है। रेशम केन्द्रों में उपलब्ध अधोसंरचना के संधारण, लघु निर्माण कार्यों तथा आवश्यकतानुसार मलबरी कृमिपालन उपकरणों के कय हेतु भी कार्य किया जाता है।

रेशम संचालनालय द्वारा पूर्व में नाभिकीय रेशम केन्द्रों के रूप में चलाये जा रहे रेशम केन्द्रों का भोगाधिकार हितग्राहियों को दिया गया है, ताकि उनमें स्वरोजगार की भावना जागृत हो। हितग्राहियों को केन्द्र पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है।

2. (2) इरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

प्रदेश में अरण्डी के पौधे पर आधारित इरी रेशम के माध्यम से रोजगार सृजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इरी रेशम के कीड़े को अरण्डी के पत्ते पर पाला जाकर रेशम उत्पादन कराया जाता है। अरण्डी का पौधा कम उपजाऊ भूमि पर लगाया जा सकता है तथा इसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अरण्डी के पौधे पर रेशम कीट पालन के साथ-साथ कृषक को अरण्डी के बीज तथा अरण्डी के पौधे की जड़ के विक्रय से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है क्योंकि अरण्डी के बीज से तेल उत्पादन तथा जड़ औषधि उत्पादन में काम आती है।

3. टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

पालित :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोसा वस्त्र उत्पादन हेतु प्रदेश के बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित बीज केन्द्रों/पायलेट प्रोजेक्ट केन्द्रों/ग्रेनेजों द्वारा उत्पादित टसर रेशम कृमि के स्वस्थ डिम्ब समूह (निरोग अण्डे) प्रदाय किये जाते हैं, जिसके लिये बेसिक सीड केन्द्रीय रेशम बोर्ड से प्राप्त किया जाता है तथा कृमिपालन कर प्रगुणित किया जाता है। कृमिपालकों द्वारा खुले आकाश के नीचे वन क्षेत्रों में उपलब्ध साजा/अर्जुन के पौधों पर कृमिपालन का कार्य किया जाता है।

नैसर्गिक :- प्रदेश के वनों में नैसर्गिक रूप से उपलब्ध साल/लैंडिया आदि के वृक्षों पर नैसर्गिक टसर कोसा का उत्पादन होता है । वनों में उत्पादित ककून को स्थानीय हितग्राही एकत्रित कर स्थानीय हाट-बाजार में विक्रय कर आय अर्जित करते हैं।

4. अम्ब्रेला स्कीम

4 (1) एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम

प्रदेश के ऐसे जिलों में जहां कि रेशम उत्पादन हेतु सामाजिक/आर्थिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियां पूर्णतः अनुकूल है किंतु प्रति व्यक्ति भू-जोत का आकार न्यूनतम होने के कारण

छोटे एवं सीमांत कृषकों, परंपरागत कृषि से कम आय प्राप्त कर रहे ऐसे संकुलों में रेशम की "मिट्टी से रेशम" तक की गतिविधियों हेतु अधोसंरचना निर्माण, उपकरण सहायता विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करते हुए संपूर्ण क्लस्टर का समग्र विकास किया जाना। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम समाप्त होने के उपरान्त प्रदेश में निजी विस्तार कार्यक्रम एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तत्कालिन तौर पर लिया जा रहा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम अनुरूप कृषकों की निजी भूमि में शहतूती पौधरोपण कार्यक्रम लिया गया है। जिसमें किसानों की निजी भूमि पर मलबरी पौधरोपण कराया जाता है। जिसमें कृषकों को कृमिपालन उपकरण, कृमिपालन भवन एवं पौधरोपण की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त योजना की कुल इकाई लागत राशि रुपये 3.65 लाख है जिसमें 57 प्रतिशत सहायता विभाग द्वारा एवं 43 प्रतिशत हितग्राही अंश प्रावधानित है।

अधोसंरचना हेतु सहायता अन्तर्गत विस्तार किसान को अधिकतम अनुदान 57 प्रतिशत स्वीकृत किया जाता है। शेष 43 प्रतिशत राशि अपने अंश के रूप में कृषक द्वारा विनियोजित की जावेगी।

एक एकड़ क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण हेतु सहायता विवरण

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	इकाई लागत रुपये लाख में	राज्य सहायता	रेशम कृषक/ उद्यमी का अंश	कुल राशि
मलबरी पौधरोपण (जड़युक्त कलम)	0.15	0.15(100%)	0.00 (0%)	0.15
कृमिपालन भवन (1000 वर्गफीट)	2.75	1.375(50%)	1.375(50%)	2.75
बायवोल्टाईन उपकरण	0.50	0.375(75%)	0.125 (25%)	0.50
सिचाई सुविधा योजना	0.25	0.1875 (75%)	0.0625 (25%)	0.25
योग	3.65	2.0875 (57%)	1.5625 (43%)	3.65

4 (2) उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

रेशम उद्योग से संबद्ध व्यक्तियों, उद्यमियों/स्वसहायता समूहों, अशासकीय संस्थाओं को विकास, उत्पादन एवं विपणन, प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों में सहयोग।

प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण :- योजना अन्तर्गत किया जाने वाले प्रचार प्रसार कार्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर/एम0आई0एस0 का विकास/ई रेशम साफ्टवेयर का निर्माण आदि कार्य किये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियों
(राशि रुपये लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
मांग संख्या-56-0101 (सामान्य)							
1	स्थापना अनुदान आयोजना	1352.93	1338.08	977.37	1141.58	1405.56	1008.99
2	अमला प्रशिक्षण	9.00	8.10	5.67	4.21	2.88	0.06
3	उत्पादन एवं कृत्तिन अनुदान	60.00	60.00	54.00	54.00	48.00	48.00
4	विपणन एवं प्रचार प्रसार	135.00	121.50	85.04	74.84	98.21	62.16
5	कच्चा माल क्रय सहायता	220.00	198.00	198.00	198.00	74.74	72.74
6	अनुसंधान एवं विकास	30.00	27.00	27.00	18.90	16.00	16.00
7	सूचना प्राद्योगिकी	10.00	9.00	0.00	0.00	--	--
8	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	3524.00	3524.00	3296.61	3296.61	698.44	646.57
9	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	-	-	208.49	208.49	74.13	68.58
10	कौशल विकास कार्यक्रम	230.00	230.00	204.40	184.40	190.96	32.77
11	ग्रामोद्योग गतिविधियों संचालन एवं संवर्धन	150.00	103.14	60.75	60.75	109.12	91.50
योग		5720.93	5618.82	5117.34	5241.78	2716.04	2047.38
मांग संख्या 56-0102 (अजजा)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	453.00	453.00	396.00	396.00	118..72	97.83
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	-	-	64.14	64.14	22.82	21.11

3	कौशल विकास कार्यक्रम	50.00	45.00	31.50	31.50	26.55	8.15
	योग	503.00	498.00	491.46	491.64	168.09	127.09
मांग संख्या 56-0103 (अजा)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	532.50	532.50	520.00	520.00	158.40	158.40
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	-	-	48.11	48.10	17.11	15.83
2	कौशल विकास कार्यक्रम	70.00	63.00	44.10	44.10	43.65	10.25
	योग	602.50	595.50	612.21	612.20	219.16	184.48
मांग संख्या 35 (एम.एस.एम.ई. से प्राप्त)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0101	-	-	-	-	202.00	202.00
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0102	-	-	-	-	160.00	160.00
3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0103	-	-	-	-	435.20	393.48
4	आर्थिक कल्याण योजना-0101	-	-	-	-	203.41	203.41
	योग	-	-	-	-	1000.61	958.89
	कुल योग	6826.43	6712.32	6221.19	6345.62	4103.90	3317.84
केन्द्र शासन (खादी ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा वित्तपोषित							
1	प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम	2276.11	1960.26	3522.50	2472.18	4606.81	1905.17

तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियाँ

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
मांग संख्या-56-0101 (सामान्य)				
1	कच्चा माल क्रय सहायता	435	-	570
2	कत्तिनों को सहायता	295	415	482
3	अमला प्रशिक्षण	170	99	04
4	कारीगर प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन	358	625	92
5	प्रचार प्रसार	48	45	26
6	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	2712	2510	624
7	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	1996	967	1024
योग		6014	4661	2822
मांग संख्या-56-0102 (अजजा)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	414	302	23
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	-	290	142
3	कौशल उन्नयन	158	127	227
योग		572	719	392
मांग संख्या-56-0103 (अजा)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	487	397	29
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	-	283	305
3	कौशल उन्नयन	228	207	338
योग		715	887	672
केन्द्र शासन (खादी ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा वित्तपोषित				
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	455	647	546

बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएँ

1. बोर्ड अमले को तकनीकी प्रशिक्षण

- बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना का अधिकार, विपणन, लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर कार्य एवं क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण।

2. उत्पादन एवं कत्तिन सहायता

- प्रदेश में खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बुनकरों को खादी के उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत श्रमिकाई के अतिरिक्त, उत्पादन अनुदान।

- प्रदेश में खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हाथ से कटाई करने वाली कत्तिनों को खादी उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत श्रमिकाई के अतिरिक्त, कत्तिन अनुदान।
- योजना का लाभ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं के बुनकरों एवं कत्तिनों को भी देय।

3. विपणन सहायता

- ग्रामोद्योगी इकाईयों को गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग एवं क्रय सामग्री का तत्काल भुगतान हेतु सहायता।
- विभागीय विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विक्रय एवं मेले/प्रदर्शनियों में भाग लेकर ग्रामोद्योगी उत्पादों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन।
- ग्रामोद्योगी इकाईयों को मेला प्रदर्शनियों में भाग लेने पर स्टाल एवं आने जाने की सुविधा।

4. प्रचार प्रसार

- खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रभावी प्रचार प्रसार।
- क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आदि।

5. कच्चा माल क्रय सहायता

- उत्पादन में निरंतरता बनी रहे एवं हितग्राहियों को नियमित रोजगार सुलभ कराने के दृष्टिकोण से कच्चा माल सहायता।

6. अनुसंधान एवं विकास

- अनुसंधान एवं विकास योजनांतर्गत उत्पादन केन्द्रों की गुणवत्ता सुधान अध्ययन एवं मूल्यांकन (इम्पेक्ट असेसमेंट) हेतु व्यवसायिक तथा विशेषज्ञ संस्थानों से अध्ययन/विश्लेषण कराना व उन्नयन करना।

7. ग्रामोद्योग गतिविधियों का संचालन एवं संवर्द्धन

अ. एकीकृत कलस्टर विकास

बोर्ड के उत्पादन केन्द्रों पर कत्तिन एवं बुनकर कलस्टर के रूप में कार्य करते हैं। इस कलस्टर के अधासंरचनात्मक विकास को सुनिश्चित करना।

ब. प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादनों की लोकप्रियता बढ़ाने, विकास कार्यों का अभिलेखीकरण, ब्रोशर प्रिंटिंग, बेस्ट प्रेक्टिसेस का अभिलेखीकरण, परियोजना प्रतिवेदन तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग हेतु सहायता।

स. उद्यमियों एवं स्व-सहायता समूहों को सहायता

ग्रामोद्योग से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्व-सहायता समूह एवं अशासकीय संस्थाओं को नवीन तकनीक एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डियाजन विकास, उत्पाद परिवर्तन एवं विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों के विकास हेतु सहायता।

द. स्पेशल प्रोजेक्ट

खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में विकास के लिये विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन।

इ. अधोसंरचना विकास

विभागीय उत्पादन केन्द्रों की व्यवस्था को शेड निर्माण, आधुनिक मशीनों आदि से सुदृढ़ करना, जिससे कत्तिनों, बुनकरों एवं अन्य कारीगरों को निरंतर रोजगार के साथ-साथ उनकी कार्यक्षमता एवं आय में वृद्धि हो सके।

8. विन्ध्या वैली

- योजना का प्रमुख उद्देश्य विन्ध्या वैली ब्रांड को विकसित कर ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराकर उसका उचित मूल्य दिलाना एवं उन्हें निरंतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है।
- योजनांतर्गत ग्रामीण उत्पादों का मूल्य संवर्धन (वैल्यू ऐडिशन), कौशल उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण, आकर्षक पैकेजिंग एवं मानकीकरण की सुविधा।

9. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

- समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु रुपये 50 हजार से 10 लाख तक की परियोजनाओं में बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।
- **आर्थिक सहायता**— सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1.00 लाख) बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/ अल्पसंख्यक/निःशक्तजन हेतु 30 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 2.00 लाख)। हितग्राहियों को स्वीकृत बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत एवं महिला हितग्राहियों को 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान (अधिकतम 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष) आगामी 7 वर्ष तक दिये जाने का प्रावधान है।

10. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

- स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु राशि रुपये 50 हजार तक की सहायता बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। आवेदक का पी.डी. एस. कार्डधारक होना अनिवार्य।
- योजना में परियोजना लागत पर सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत तथा बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ अल्पसंख्यक/निःशक्तजन/विमुक्त घुम्मकड एवं अर्द्ध घुम्मकड जाति को 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 15,000 मार्जिनमनी सहायत दिए जाने का प्रावधान है।

11. कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन

- बेरोजगार युवाओं/अल्प-कालिक रोजगार प्राप्त कृषि संबंध मजदूरों को कुटीर एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हस्तशिल्प व एलाईड गतिविधियों में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना।
- कारीगरों को उन्नत तकनीकी, गुणवत्ता सुधार एवं कौशल उन्नयन हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम
तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियां

(राशि रुपये लाख में)

क 0	योजना	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	विकास सह संग्रहण केन्द्रों की स्थापना	535.00	535.00	530.10	530.07	235.60	235.60
2	प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसार	120.00	120.00	118.80	118.80	108.25	108.25
3	प्रमोशन अभिलेखीकरण एवं ब्राण्ड बिल्डिंग	--	--	--	--	784.00	---
4	अनुसंधान का विकास	15.00	15.00	14.85	14.85	12.00	12.00
5	उद्यमियों/स्वसहायता समूहों एवं अशा. संस्थाओं को सहयोग	30.00	27.00	27.00	27.00	9.60	8.16
6	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	260.00	260.00	236.70	236.70	205.97	205.97
7	शिल्पी/बुनकर कल्याण योजना	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	--
8	निगम को स्थापना हेतु अनुदान	795.68	795.68	607.21	458.22	959.95	955.04
9	निगम भवनों का संधारण	33.00	33.00	32.40	32.40	11.52	11.52
10	स्पेशल प्रोजेक्ट	0.009	0.00	0.01	0.00	0.01	---
11	प्रमोशन अभिलेखीकरण	50.00	50.00	45.00	45.00	16.00	16.00
12	अधोसंरचना विकास	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	--
13	राज्य स्तरीय पुरस्कार	3.00	3.00	3.00	3.00	2.18	2.18
14	सूचना प्रौद्योगिकी	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15	कालीन पार्क	100.00	90.00	90.00	40.50	72.74	72.74
16	कौशल विकास कार्यक्रम	22.00	22.00	24.00	24.00	21.82	21.82
17	आई.डी.पी.एच. परियोजना	156.80	141.12	0.00	0.00	0.00	---
	योग	2137.009	2108.30	1729.09	1530.54	2439.66	1649.29

तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धि

क्रं	योजना	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसार संख्या	70	68	70	70	71	67
	लाभान्वित हितग्राही	12000	12000	12000	12000	13100	13475
2	अनुसंधान एवं विकास	--	--	--	--	60	60
3	उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	25	33	30	60	50	30
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	1000	1170	990	2002	1171	1190
5	राज्य स्तरीय पुरस्कार	6	--	5	5	5	--
6	कौशल विकास कार्यक्रम	50	135	50	65	50	60
7	कालीन पार्क	1000	1000	--	--	--	--
	योग-	14081	14406	13145	14202	14507	14815

राज्य स्तरीय योजनाएँ

1. एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना

ग्रामोद्योग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाना, वर्तमान क्लस्टरों को सुदृढ़ करना तथा नवीन क्लस्टरों को विकसित करना, क्लस्टरों में वित्तीय समर्थन को बढ़ाने हेतु डायग्नोस्टिक स्टेडी करना, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट, डिजाइन, बाजार लिंकेज, सलाहकारों की सेवाएँ लेना, कमियों को चिन्हित करने हेतु अध्ययन, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, क्लस्टर में लघु एवं मध्यम उद्यमियों अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु सेमीनार वर्कशाप, अध्ययन भ्रमण आदि का आयोजन करना तथा अन्य हाथकरघा संबंधी गतिविधियों/आवश्यकताओं हेतु सहायता। क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क, नाली, पेयजल, विद्युत प्रदाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ, अधोसंरचना, प्री-लूम, पोस्ट लूम सुविधाओं की स्थापना करना।

2. 'प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण योजना'

प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग से संबंधित उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यों का अभिलेखीकरण जिसमें डिजाइन डिस्क्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर, प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग तथा वेब प्रेजेंटेशन आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जावेगी।

3. स्पेशल प्रोजेक्ट योजना

हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी क्षेत्र के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ / प्रायवेट पार्टनरशिप अंतर्गत निजी इकाईयों, कंपनियों एवं व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन।

4. उद्यमियों / स्व. सहायता समूहों / अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

योजना का आच्छादन - हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम तथा खादी से संबंधित इकाईयों से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाएँ इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, उत्पाद परिवर्तन, विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों के उत्थान के लिये सहायता।

5. अनुसंधान एवं विकास योजना

हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी से संबंधित इकाईयों को क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य संपादित करने हेतु अध्ययन एवं मूल्यांकन (इम्पेक्ट एसेसमेंट) हेतु नीतियों के क्रियान्वयन का व्यावसायिक तथा विशेषज्ञ संस्थाओं से अध्ययन/विश्लेषण कार्य कराए जाने हेतु सहायता दी जा सकती है।

6. विकास केन्द्रों का संचालन

शिल्पियों व बुनकरों को घोषित सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए निगम द्वारा हस्तशिल्प व हाथकरघा क्लस्टर्स में 29 विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

7. प्रदर्शनी प्रचार प्रसार

प्रदेश के शिल्पों व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री के लिए निगम द्वारा देशभर में प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं। इन प्रदर्शनियों में शिल्पियों / बुनकरों का सीधा सम्पर्क ग्राहकों से होता है उन्हें ग्राहकों की पसन्द का ज्ञान होता है व डायरेक्ट मार्केट लिंकेज मिलता है।

8. हस्तशिल्प की बिक्री पर अवहार

राष्ट्रीय व धार्मिक त्यौहारों के अवसर पर बिक्री पर अवहार दिया जाता है।

9. विपणन सहायता

शिल्पियों व बुनकरों के लिए सबसे प्रमुख समस्या विपणन की होती है। शिल्पियों के उत्पाद के विक्रय के लिए निगम द्वारा 25 एम्पोरियम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 12 प्रदेश के बाहर हैं। निगम द्वारा ग्वालियर व भोपाल में स्थाई हाट की स्थापना की गई थी। इस वर्ष इन्दौर में भी हाट प्रारंभ कर दी गई है। यहां शिल्पियों को रोटेशन से अपने उत्पाद बिक्री करने का अवसर दिया जाता है।

10. विश्वकर्मा पुरस्कार

शिल्पियों द्वारा जीविकार्जन के लिए व्यवसायिक उत्पादन कराने के कारण शिल्प की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। शिल्पियों को कलात्मक उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु चयनित शिल्पियों को विश्वकर्मा पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। प्रथम पुरस्कार रुपये 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार 50,000/- व तृतीय पुरस्कार रुपये 25,000/- है। इसके अतिरिक्त 15,000/- के 3 प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जाते हैं।

मध्य प्रदेश माटीकला बोर्ड
तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियां
 (राशि लाख रुपये)

क्र०	योजना	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
मांग संख्या-56-0101 सामान्य							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	481.00	481.00	476.90	448.27	157.62	157.62
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना		-	52.20	41.31	16.70	11.69
2	माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण	13.20	13.20	15.84	15.84	15.28	10.70
3	माटीकला प्रचार-प्रसार योजना	8.80	8.80	10.56	6.50	7.68	5.38
4	कौशल विकास कार्यक्रम	5.50	5.50	6.00	-	5.46	1.92
5	मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान योजना	2.00	-	-	-		
मांग संख्या-56-0102 (अनुसूचित जनजाति)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	14.99	14.99	14.84	14.84	0.30	0.22
2	आर्थिक कल्याण योजना	-	-	1.65	1.48	0.05	0.03
मांग संख्या-56-0103 (अनुसूचित जाति)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	1.00	1.00	0.95	0.95	5.18	5.18
2	आर्थिक कल्याण योजना		-	0.15	0.13	0.53	0.37
	योग					208.80	193.11
मांग संख्या-35 - (MSME से प्राप्त)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0101	--	--	--	--	17.08	17.08

2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0102	--	--	--	--	10.00	10.00
3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0103	--	--	--	--	10.00	10.00
4	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना-0101	--	--	--	--	33.00	33.00
	योग					70.08	70.08
	महायोग(मांग संख्या 41,56,64, 35)	526.49	524.49	579.09	529.34	278.88	263.19

तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियाँ
(इकाई संख्या)

क.	योजना का नाम	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		लक्ष्य (हितग्राही)	उपलब्धि (हितग्राही)	लक्ष्य (हितग्राही)	उपलब्धि (हितग्राही)	लक्ष्य (हितग्राही)	उपलब्धि (हितग्राही)
मांग संख्या-56-0101 सामान्य							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	982	800	580	457	296	162
2	आर्थिक कल्याण योजना	-	-	435	288	360	84
2	माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण	60	58	65	68	65	--
3	माटीकला प्रचार-प्रसार योजना	30	69	32	33	32	03
4	मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान योजना	--	-	-	-	--	--
5	कौशल विकास कार्यक्रम	15	14	15	-	15	--
	योग	1105	962	1162	846	768	249
मांग संख्या-56-0102 (अनुसूचित जनजाति)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	01	03	1	1	01	26
2	आर्थिक कल्याण योजना	-	-	1	1	01	11
मांग संख्या-56-0103 (अनुसूचित जाति)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	17	18	19	19	05	12
2	आर्थिक कल्याण योजना	-	-	14	14	03	12
	योग	1105	962	1162	881	778	310

मध्य प्रदेश माटीकला बोर्ड की योजनाएं

1- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना :

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में परियोजना लागत रुपये 0.50 लाख से 10.00 लाख तक इकाई स्थापित करने के लिये सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 1.00 लाख तक एवं बी0पी0एल0/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) /महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन हेतु 30 प्रतिशत अधिकतम रुपये 2.00 लाख तक का मार्जिन मनी सहायता।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 5 प्रतिशत की दर से तथा महिला हितग्राहियों को 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम रुपये 25,000/- प्रति वर्ष तक ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष तक।

2- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना :

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में परियोजना लागत रुपये 50,000/- पर सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत तथा बी.पी.एल./अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन/ विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्ध घुमक्कड जाति को 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 15,000 मार्जिन मनी सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

3- माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण योजना :

माटीकला उद्यमियों की प्रशिक्षण योजना में माटी शिल्प के विकास एवं मूल्य संवर्धन(value addition) का प्रशिक्षण देश एवं प्रदेश स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों के माध्यम से दिया जाता है।

4- माटीकला प्रचार-प्रसार योजना :

इस योजना अंतर्गत माटीकला शिल्पियों के लिये संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जाता है एवं माटी कामगारों/शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रति वर्ष 3 उत्कृष्ट शिल्पियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों को प्रदेश या प्रदेश के बाहर आयोजित होने वाले मेले/प्रदर्शनी आदि में भागीदारी और मेले के आयोजन के लिये सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

5- कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन :

इस योजना में प्रदेश के माटीशिल्पियों को प्रदेश के बाहर देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे विशिष्ट माटी उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

भाग-4

अभिनव योजना

1. वर्ष 2019-20 में हाथकरघा संचालनालय द्वारा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1816 बुनकरों का समूह बीमा कराया गया।
2. वित्तीय वर्ष 2019-20 से रेशम संचालनालय द्वारा से एन. आई. सी. के माध्यम से साफ्टवेयर ई-रेशम पोर्टल www.eresham.mp.gov.in तैयार किया गया है। पोर्टल के माध्यम से कृषको को आर्थिक सहायता भुगतान की पारदर्शिता बाबत अप्रैल 2019 से एकीकृत क्लस्टर कार्यक्रम योजना की प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है। जिसके अन्तर्गत निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जावेगा:-
 - वर्ष 2019-20 से कृषको का रेशम पालन हेतु पंजीयन ऑनलाईन ई-रेशम पोर्टल पर होगा।
 - कोई भी आवेदन कार्यालय स्तर पर सीधे प्राप्त नहीं किया जावेगा।
 - कृषको के चयन हेतु प्राथमिकता के आधार का मानक बनाया गया है।
 - चयनित कृषको के योजना अनुबंध के प्रावधान अनुसार पौधरोपण कार्य, कृमिपालन भवन निर्माण कार्य, उपकरण/सिंचाई सहायता करने हेतु सत्यापन पश्चात् ई-रेशम पोर्टल पर ही ई-भुगतान आदेश जनरेट होगा।
 - चयनित कृषको को राशि ई-रेशम पोर्टल के माध्यम से सत्यापन पश्चात् कोषालय से सीधे उनके व्यक्तिगत खाते में जमा की जावेगी।
3. विभिन्न विभागों को लगने वाले वस्त्र मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम के अन्तर्गत प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों, हाथकरघा बुनकर समितियों एवं म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लिये आरक्षित है। इनके प्रदाय के लिये म0प्र0 हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम एवं म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिकृत है। विगत वर्षों में यह देखने में आया है कि कई विभागों द्वारा अनाधिकृत संस्थाओं एवं प्रदायकर्ताओं को सीधे आदेश दिये जाते थे। अतः प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु विभिन्न शासकीय विभागों को लगने वाले वस्त्रों के प्रदाय आदेश हेतु www.Khadiprocurement.mp.gov.in/ www.hsvnprocurement.mp.gov.in पोर्टल तैयार किया गया है। जिससे प्रदेश के बुनकरों/शिल्पियों को सतत् रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।
4. प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के बाहर एकता मॉल केवडिया (गुजरात) में "मृगनयनी" को नया शोरूम एवं हैदराबाद में "मृगनयनी" का काउण्टर प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर एवं महाराष्ट्र मुम्बई के वासी में एपोरियम प्रारंभ किये जा रहे हैं। अन्य राज्य छत्तीसगढ़ एवं आन्ध्रप्रदेश के साथ एम0ओ0यू0 कर प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को व्यापक बाजार प्रदान किया गया है।

भाग 5

महिला नीति एवं जेण्डर बजट

हाथकरघा संचालनालय

हाथकरघा एवं कुटीर उद्योग का कार्यक्षेत्र व्यक्ति विशेष न होकर पारिवारिक गतिविधि के रूप में संचालित किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले जेण्डर बजट में ग्रामोद्योग विभाग को सम्मिलित किया गया है। विभाग के लिये स्वीकृत बजट प्रावधान का हितग्राही मूलक योजनाओं में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला हितग्राहियों के लिए उपयोग किया जाता है।

रेशम संचालनालय

रेशम संचालनालय के अंतर्गत स्वावलंबन योजना के तहत शहतूती पौधरोपित भूमि एक एकड़ अथवा आधा एकड़ का भोगाधिकार दिया गया है जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के बचत समूह गठित किये गये हैं। प्रदेश में उत्पादित समस्त प्रकार के रेशम ककून की धागाकरण इकाईयां MOPRO सिल्क फेडरेशन के अन्तर्गत क्रियान्वित हैं, उल्लेखनीय है कि प्रदेश में संचालित समस्त रेशम धागाकरण इकाईयों में शत प्रतिशत महिलायें कार्यरत हैं। महिला नीति एवं जेण्डर बजट में वर्ष 2019-20 में कुल 1487 महिला हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा धागा कताई, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में महिला हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तथा विन्ध्यावैली के तहत महिला हितग्राहियों के समूहों के उत्पादों के विपणन में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। खादी उत्पादन योजनान्तर्गत 482 महिला कस्बियों को तथा विन्ध्यावैली परियोजनान्तर्गत 544 महिला सदस्यों को निरंतर लाभान्वित किया जा रहा है।

MOPRO हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

निगम द्वारा संचालित योजनाओं यथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नवीन रूपांकन कार्यशालाओं में महिलाओं की भागीदारी कराई जाती है। संचालित योजनाओं में 30 प्रतिशत राशि महिलाओं पर व्यय की जाती है।

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा माटी से संबंधित उद्योग प्रारंभ करने के लिये 30 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

